millers. Hence, no targets are fixed for procurement of rice.

There is no decline in the production of rice in 1996-97 crop year. The procurement of rice for the Central Pool during 1996-97 Marketing Season is progressing satisfactorily and has reached 120.38 lakh tonnes as on 21.7.97 as compared to 98.59 lakh tonnes upto the same date last year.

Government has permitted import of common/coarse varieties of rice and rice with 50% or more brokens freely with a view to augmenting its availability in the country to meet the needs of the common consumers with limited purchasing power. This permission has been given with effect from 27.5.97.

It is difficult to assess the quantity that is likely to be imported by various agencies in the public/private sector. Therefore the impact on domestic prices cannot be predicted.

FCI's Storage Capacity of Foodgrains in Gujarat

489. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Food Corporation of India (FCI) has created storage capacity to maintain the minimum buffer stock of foodgrains in the State of Gujarat;

(b) if so, the details of the buffer stock prescribed for the State and the present storage capacity thereof;

(c) whether Government propose to increase the buffer stock as well as storage capacity for Gujarat; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) As on 31.5.1997, the Food Corporation of India is having storage capacity of 9.82 lakh tonnes in Gujarat State. This capacity is considered to be sufficient keeping in view the present level of allocations under TPDS and other Government schemes. There are no State-wise buffer stocking norms.

Rice Sent to Manipur by FCI Misappropriated on the way

490. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether rice worth several crores of rupees scheduled to be sent to Manipur by FCI through certain parties in Haryana was misappropriated on the way and was not delivered; and

(b) if so, the details of the irregularities and action taken against officials and non-officials involved in the scandal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir. The two transport contractors appointed for transportation of foodgrains from Haryana to Imphal (Manipur) had not delivered 4368 MT and 1543 MT of rice valuing about Rs. 4.25 crores.

(b) Two parties namely M/s. Gautam Associates, Mohali and M/s Yazen Ayier & Co., Pehowa, who were appointed as transport contractors for transportation of foodgrains from Haryana to Imphal had not delivered the above mentioned quantities of rice. On the basis of preliminary investigations 6 Astt. Managers and one District Manager have been placed under suspension. FIR has also been lodged against the defaulting contractors for misappropriation of foodgrains. The Government has approved the proposal of the Food Corporation of India to refer the case for detailed investigation by the Central Bureau of Investigation and FCI has taken action accordingly.

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की सहमति

491. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन-किन राज्यों ने गरीबों को आधे दाम पर अनाज उपलब्ध कराने की योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में सहमति जताई है तथा वे इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर देंगे;

(ख) इन राज्यों में इस दोहरी वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान, इन राज्यों ने प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कितनी मात्रा में कौन-कौन से अनाजों की मांग की है; और

(घ) सभी राज्यों द्वारा इस योजना को एक साथ लागू न करने के क्या कारण हैं?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुबंश प्रसाद सिंह): (क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित करने के लिए सहमत हो गए हैं। हरियाणा और त्रिपुरा राज्यों ने 1.5.97 से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना क्रियान्वित कर दी है। पंजाब, दिल्ली, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर सभी अन्य राज्यों ने 1.6.97 से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना शुरू कर दी है।

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु बनाए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन निम्नलिखित उपाय किए हैं, ये मार्गदर्शी सिद्धान्त फरवरी 97 में सदन के पटल पर रखे गए थे।

(1) गरीबी की रेखा से नीचे से परिवारों को विशेष राशन कार्ड जारी करके अथवा मौजूदा राशन कार्ड पर पृष्ठांकन करके उनकी पहचान करना।

(2) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने और उचित दर दुकानों के स्तर पर पारदर्शी और जिम्मेदार तरीका अपनाने के लिए दोष रहित व्यवस्था करना।

(3) कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से लेकर आपूर्ति निरीक्षक तक के अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों की मानीटरिंग करने के लिए निरीक्षण अनुसूची तैयार करना और सार्वजनिक वितरण प्रणी के संबंध में जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें और राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(4) उचित दर दुकान के स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर पर आवधिक रिपोर्ट भेजने की प्रणाली विकसित करना। इसमें विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग और आंकड़े प्रस्तुत करना अंर्तग्रस्त है। केन्द्र को मासिक आधार पर विहित प्रोफार्मा में रिपोर्टें भेजी जानी होती हैं।

(5) उचित दर दुकानों पर सूचना का प्रदर्शन करके विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मासिक आवंटन का प्रचार करके और नागरिक अधिकार पता तैयार करके लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना।

(6) विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक समीक्षा करने के अतिरिक्त उचित दर दुकान, तालुक, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करना।

(7) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों का उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण।

(ग) 1996-97 के दौरान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विद्यमान नहीं थी। तथापि, 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन और उठान विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

(घ) पंजाब, दिल्ली गोवा और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की सरकारों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना क्रियान्वित कर दी है। पंजाब, दिल्ली और गोवा तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना उन्हें विशेष कार्ड जारी करना आदि शामिल है।

विवरण

1996-97 के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन और उठान

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(टन में) आवंटन	उठान
1.	आन्ध्र प्रदेश	2670000	2073500
2.	अरुणाचल प्रदेश	116400	106200

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(टन में) आवंटन	उठान
3.	असम	1004200	822600
4.	बिहार	1087200	476300
5.	गोवा	127200	92100
6.	गुजरात	1066900	900700
7.	हरियाणा	260160	151700
8.	हिमाचल प्रदेश	262800	205700
9.	जम्मू और कश्मीर	888000	502700
10.	कर्नाटक	1809120	1396700
11.	केरल	2419500	2074800
12.	मध्य प्रदेश	1219300	733900
13.	महाराष्ट्र	1868000	1403500
14.	मणिपुर	152400	90200
15.	मेघालय	219500	208500
16.	मिजोरम	115550	109700
17.	नागालैण्ड	89800	98100
18.	उड़ीसा	1463000	1004800
19.	पंजाब	139000	63939
20.	राजस्थान	1417370	1157900
21.	सिक्किम	70800	72300
22.	तमिलनाडु	2190700	2083000
23.	त्रिपुरा	216000	164700
24.	उत्तर प्रदेश	1672600	1250400
25.	पश्चिम बंगाल	1861000	1421900
26.	अंडमान और निकोबर द्वीप समूह	39000	9725
27.	चण्डीगढ़	25200	10113
28.	दादर और नगर हवेली	9000	6309
29.	दमन और दीव	9600	4551
30.	दिल्ली	940000	690500
31.	लक्षद्वीप	6800	6820
32.	पांडिचेरी	29245	17750
	जोड	25465345	19411607

Stock Position in the Drought Affected Districts in Orissa

492. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the stock of foodgrains availabe in Orissa is very comfortable; and

(b) if so, the details of stock position in the drought affected districts of KBK